मि0 नम्बर 435/प्रा.पत्र/2020 उनवान पूजा सुमन उर्फ धापूबाई बनाम राज. सरकार

25/08/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया पूजा सुमन उर्फ धापूबाई पुत्री माधोलाल पत्नि राजेन्द्र सुमन जाति माली निवासी बम्बूलिया तहसील सांगोद जिला कोटा ने जरिये अधिवक्ता यह प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सारोला भनक्याखेडी तहसील खानपुर के माल में जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खतौनी संख्या 115 की ख.न. 188 की 1.2060 हेक्टयर आराजी में प्रार्थीया का 1/48 हिस्सा एंव. खाता सं. 114 की ख.न. 188/307 0.2023 हेक्टयर आराजी में प्रार्थीया का 1/42 हिस्सा दर्ज है। एंव वर्णित आराजी में प्रार्थीया का खाते में धापूबाई. पुत्री माधोलाल जाति माली निवासी बम्बूलिया तहसील सांगोद दर्ज है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम पूजा सुमन उर्फ धापूबाई है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में धापूबाई पुत्री माधोलाल दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का सही नाम पूजा सुमन है। अतः पूजा सुमन व धापूबाई एक ही महिला का नाम है। प्रार्थीया का शपथ पत्र,एंव मोहनीबाई पत्नी माधोलाल जाति माली निवासी बम्बूलिया तहसील सांगोद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी प्रार्थीया का नाम पूजा सुमन होना बताया है। ग्राम पंचायत आकोदिया दिनांक 12.03.20 को जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीया का सही नाम पूजा सुमन बाई उर्फ धापूबाई एक ही महिला होना बताया है। अतः वर्णित आराजी में धापूबाई पुत्री माधोलाल के स्थान पर पूजा सुमन उर्फ धापूबाई पुत्री माधोलाल खाते में शुद्व किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम सारोला भनक्याखेडी तहसील खानपुर के माल में जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खतौनी संख्या 115 की ख.न. 188 की 1.2060 हेक्टयर आराजी एंव खाता सं. 114 की ख.न. 188/307 0.2023 हेक्टयर आराजी में प्रार्थीया का नाम सहवन से पिता की मृत्यु के बाद धापूबाई पुत्री माधोलाल दर्ज हो गया है। प्रार्थीया के शपथ पत्र एंव ग्राम पंचायत आकोदिया दिनांक 12.08.20 को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी प्रार्थीया का सही नाम पूजा सुमन उर्फ धापूबाई होना बताया है। गवाह मोहनीबाई जो प्रार्थीया की माता है उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र से भी प्रार्थीया का नाम पूजा सुमन उर्फ धापूबाई सही नाम करने की ताईद की है। प्रस्तुत दस्तावेजात एंव शपथ पत्रो के अनुसार पूजा सुमन एंव धापूबाई एक ही महिला के दो नाम है। ऐसे में न्यायहित में प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारोला भनक्याखेडी तहसील खानपुर के माल में जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खतौनी संख्या 115 की ख.न. 188 की 1. 2060 हेक्टयर आराजी एंव खाता सं. 114 की ख.न. 188/307 0.2023 हेक्टयर आराजी में प्रार्थीया का नाम धापूबाई पुत्री माधोलाल के स्थान पर पूजा सुमन उर्फ धापूबाई पुत्री माधोलाल शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)